10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

79

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी - 3650/2018/रायसेन/भू.रा.

भू.रा.निगरानी क्रमांक पी.बी.आर./रायसेन/2018

166

अभिभावक श्री गुलाब सिंह चौहान
द्वारा आज दिनांक 7/5/18
को पेश।
अधीक्षक

1. पदमसिंह आत्मज श्री रामरतन घोसी
2. प्रहलाद सिंह आत्मज श्री गोपाल सिंह घोसी

कृषक निवासी-ग्राम - डाटाखेड़ा

तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

चन्दर सिंह आत्मज श्री तुलसीराम,आयु वयस्क

कृषक-डाटाखेड़ी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र. ....गैर निगरानीकर्ता

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1059

महोदयजी,

न्यायालय तहसीलदार गौहरगंज के प्र.क्र.2/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05 जनवरी 2018 कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल गौहरगंज जिला रायसेन के प्र.क्र.3/रा.नि./2017-18 में पारित आदेश दिनांक -निल- के पालन में राजस्व निरीक्षक मण्डल गौहरगंज के द्वारा सीमांकन दिनांक 09.12.2017 में की गई कार्यवाही से दुखी होकर यह निगरानी ज्ञान के दिनांक 24.03.2018 से समय सीमा में सादर प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में

01. यह कि आवेदक एवं अनावेदक आपस में मेढ़ पड़ोसी कृषक है । अनावेदक द्वारा आवेदकगण के पीठ पीछे उन्हें सूचना दिये बगैर दिनांक 09.12.2017 को राजस्व निरीक्षक गौहरगंज एवं हल्का पटवारी से भूमि खसरा कमांक 19/2 रकबा 0.202 हेक्टेयर का सीमांकन कराना बताया गया तथा सीमांकन के परिणाम स्वरूप अनावेदक की भूमि खसरा कमांक 19/2 रकबा 0.202 हेक्टेयर के अंश भाग पर लगभग 0.20 एकड़ पर प्रहलाद सिंह तथा 0.002 एकड़ (0.2 डेसीमल) पर **पदमसिंह का** अनाधिकृत कब्जा पाया जाना बताया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3650/2018/रायसेन/भू-रा. जिला - रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गौहरगंज न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, रायसेन को भेजा जाता है। कलेक्टर, रायसेन प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	